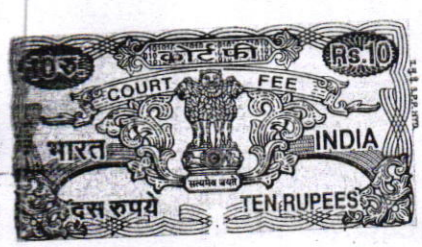

१०रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

२०रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

(142)

अपील प्रकरण क्रमांक /२०१८

मानतीय राजस्व मण्डल महोदय गवालियर के समक्ष

निगरानी-3294/2018/धार/भू.रा.

श्री नाहर सिंह अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत 16-5-18 को

रामसिंह पिता गंगाराम बागरी
आयु ४८ साल, धंदा खेती
निवासी खेरोद तहसील व जिला
धार (म०प्र०) — अपीलांट

विरुद्ध

भारतसिंह पिता गंगाराम बागरी
निवासी खेरोद तहसील व जिला
धार (म०प्र०) — रिस्पान्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भू-राजस्व संहिता

श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जिला धार द्वारा अपीलप्रकरण क्रमांक ८६/ अपील/२००६-२०१० मे पारित आदेश दिनांक १६-८-२०११ के विरुद्ध एवं श्रीमान कलेक्टर महोदय धार द्वारा निगरानी प्र०क्र० २/१६-१७ मे पारित आदेश दिनांक ७-४-२०१८ के विरुद्ध

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3294/2018/धार/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाष आदि के हस्ताक्षर
27-6-2018	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, धार के आदेश दिनांक 19-8-2011 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 16-5-18 को लगभग 7 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । आवेदक द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में विलम्ब का कारण अभिभाषक द्वारा प्रकरण के बारे में जानकारी नहीं देना, आवेदक का बीमार होना एवं कलेक्टर के समक्ष समक्ष निगरानी प्रस्तुत करना बतलाया गया है, किन्तु आवेदक द्वारा बीमार होने के सम्बन्ध में डाक्टर का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है । कलेक्टर के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा कलेक्टर के समक्ष निगरानी दिनांक 30-7-17 को प्रस्तुत किया गया है, जो कि स्पष्टतः समय बाह्य है । अतः विलम्ब के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा जो कारण बताये गये हैं, वह समाधान कारक नहीं होने से विलम्ब क्षमा किये जाने योग्य नहीं है । 1992 आर.एन. 289 लंगरी (श्रीमती) तथा अन्य विरूद्ध छोटा तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:- ''धारा 5 – व्याप्ति - अधिकारिता की प्रकृति-वैवेकिक है-पक्षकार विलम्ब माफी के लिए अधिकार के रूप में हकदार नहीं है-पर्याप्त कारण का सबूत - अधिनियम की धारा 5 द्वारा न्यायालय में निहित अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए पुरोभाव्य शर्त है-न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्ति के अधीन अधिनियम अथवा विधि द्वारा विहित परिसीमा की कालावधि नहीं बढ़ा सकता ।'' माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त प्रतिपादित न्याय दृष्टान्त के प्रकाश में यह निगरानी प्रथम दृष्टया समय बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	